(3)

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट , जिला – दौसा

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर , लालसोट

राजस्व वाद संख्या :– 67T / 21
रज्जू दिनांक :– 19.01.2021

1. मुल्या पुत्र नारायण
2. रामजीलाल
3. नानगराम पि0 गंगाराम
4. हंसराज
5. नाथी बेवा गंगाराम

जाति बैरवा निवासी नीमड्या की ढ़ाणी ग्राम संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

(वादीगण)

बनाम्

1. मूलचन्द पुत्र सोन्या जाति बैरवा निवासी नीमड्या की ढ़ाणी ग्राम संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट , जिला – दौसा (राज0)

(प्रतिवादीगण)

1. श्री रमेश चन्द सैनी अधिवक्ता वादी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय **निर्णय दिनांकः–** 19.1.21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप0 बावजूद तलवी जरिये रजि0 एडी अप्रार्थीगण दिनांक 27.07.2020 संलग्न रशीदानुसार होने , अप्रार्थीगण उप0 नही आये। अप्रार्थीगणों के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाती हैं। बहस एकपक्षीय अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने दलील दी की उभयपक्षकार आराजी वादग्रस्त कृषि भूमि के संयुक्त

खातेदार काश्तकार है। मौके पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्से अनुसार बिना विधिक तकास्मा कराये काबिज है। प्रार्थीगण का वाद बतौर वादी आराजी वादग्रस्त का श्रीमान के न्यायालय में जेरकार है। वाद में प्रार्थीगण द्वारा आराजी वादग्रस्त कृषि भूमि का वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाने की इस्तदुआ की हैं। यदि अप्रार्थीगण को स्थायी रूप से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने का पूरा – पूरा अंदेशा हे। अतः दिनांक 22.07.2020 को प्रार्थी के पक्ष में दी गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा confirm किया जावें तथा अप्रार्थीगणों को ता फैसला वाद पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भी अवलोकन किया बहस एक पक्षीय अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर फरमाया जाकर मनन किया । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अप्रार्थीगणों का ता फैसला वाद पाबन्द करने की निवेदन किया है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2074 – 2077 का उल्लेख किया। मुताबिक जमाबन्दी आराजी खसरा नं. 601 रकबा 0.0200 हेक्ट0 खसरा नं. 602 रकबा 10.1000 हेकय0 कुल किता 2 कुल रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा स्थित ग्रा0 संवासा तह0 लालसोट के प्रार्थी संख्या 1 हिस्सा 1/3, प्रार्थी सं0 2 लगायत 5 हिस्सा 1/3 तथा अप्रार्थी संख्या 1 हिस्सा 1/3 बराबर – बराबर हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। आराजी वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि हैं जिसका विधिवत तकास्मा नही हुआ है। बिना विधिवत तकास्मा के पक्षकारों का विशिष्ट हिस्सा SPECIFIC PORTION तय नही किया जा सकता। उभयपक्षकार मनबट से अपने अपने हिस्से कायम कर काबिज हैं। बिना विधिक तकास्मे के व्यक्ति विशेष या खातेदार के विशिष्ट हिस्से का निर्धारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति आराजी वादग्रस्त कृषि भूमि कां विधिवत् तकास्मा होने तक मौकें की यथास्थिति बनाये रखना उचित होगा। अतः दिनांक 22.7.2020 को प्रार्थी के पक्ष में दिया गया अन्तरिम स्थगन आदेश ताफैसला वाद CONFIRM किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से तक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा या व्यवधान उत्पन्न न करने या करवाने तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता हैं। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। संलग्न मूलवाद रहे।

(मिथलेश मीना)
सहायक कलक्टर
लालसोट